भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No. S647/ 09.06.002 /2025-2026 25 अगस्त, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
शहरी सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

शहरी सहकारी बैंकों के लिए एमएसएमई के वित्तपोषण पर कार्यक्रम (06 से 10 अक्तूबर, 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे 06 से 10 अक्तूबर, 2025 के दौरान सीएबी परिसर, पुणे में शहरी सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिए एमएसएमई के वित्तपोषण पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है-

- आरबीआई के विभिन्न दिशा-निर्देशों और एमएसएमई वित्तपोषण में हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी साझा करना।
- ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने, ऋण और अग्रिमों की निगरानी करने और एमएसएमई इकाइयों के पुनर्संरचना के संबंध में कौशल बढ़ाना।
- एमएसएमई वित्तपोषण के लिए प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोणों के बारे में जागरूकता पैदा करना
- एमएसएमई ऋण के सबंधित व्यवहार कौशल, जैसे कि उद्यमी संवेदनशीलता, सहानुभूति और उद्यमियों के साथ उचित संचार के बारे में जागरूकता पैदा करना।

3. स्थान और आवास

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 05 अक्तूबर 2025 की संध्या को सीएबी मे रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन वाले दिन पर प्रस्थान कर सकते हैं। अधिक समय तक रुकने और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध 1 में दी गई है।

5. हम आपसे इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक से उपयुक्त अधिकारियों को नामित करने का अनुरोध करते हैं। नामांकन 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। नामांकन **First**

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

Come First Served के आधर पर स्वीक्रित किए जएंगे। **भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया गया है ।**

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए**,** आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020-25582396 / 020-25581112) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम तिथियां	06 से 10 अक्तूबर, 2025
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	26 सितंबर 2025
कैब में रिपोर्टिंग	05 अक्तूबर, 2025 शाम को
कार्यक्रम का समापन	10 अक्तूबर, 2025 को शाम 05.00 बजे

सादर

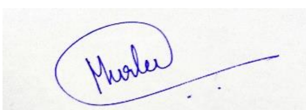

(मुरली कृष्णा एम)
उप महाप्रबंधक
कार्यक्रम निदेशक
संपर्क: 25582318
Email ID- murleekrishna@rbi.org.in

अनुलग्नक: यथोक्त

अनुबंध I

Broad Course Content

- **Module I – Policy and Guidelines**
  - RBI guidelines on MSME lending
  - Government of India initiatives on MSME sector
  - Cluster approach for financing micro & small enterprises
- **Module II – Assessment of credit needs**
  - Analysis of financial statements
  - Tools for credit appraisal
  - Assessment of Non-Fund Based Bank Finance
  - Assessment of Export Credit requirements
  - Credit scoring and rating models for MSMEs
  - Credit Guarantee Architecture in MSME financing
- **Module III – Credit monitoring and NPA management**
  - Importance of Credit Monitoring and Early Warning Signals
  - NPA Management in MSME loans
  - Loan documentation
  - Recovery of loans
- **Module IV – New approaches in MSME lending**
  - Alternative tech driven approaches to financing MSMEs
  - FinTech & P2P lending, TReDS and its functioning
- **Module V – Soft skills**
  - Imparting soft skills - Effective communication with MSME clients
    Need of emotional intelligence to deal with MSE entrepreneurs

अनुबंध II

शहरी सहकारी बैंकों के लिए एमएसएमई के वित्तपोषण पर कार्यक्रम (06 से 10 अक्तूबर, 2025)

Fee Structure

Group	**Type**	**Fees per participant**	**18% GST**	**Total fees to be paid per participant (including GST)**
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore	Residential	21000	3780	**24780**
	Non-residential	13200	2376	**15576**
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore	Residential	14000	2520	**16520**
	Non-residential	8800	1584	**10384**

Please use the programme code AMI-06102025 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should, therefore, not deduct TDS on the Programme Fees.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।